

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spzh-up@nic.in



पत्र संख्या- 242/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-07.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 07.07.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना अतरौलिया: हत्या के प्रयास में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 05.07.2025 को रात्रि करीब 08 बजे हिस्सा बंटवारे की बात को लेकर वादी मुकदमा संजीव कुमार पुत्र स्व0 श्यामलाल निवासी सघनपट्टी थाना-अतरौलिया जनपद- आजमगढ़ व उसकी पत्नी अनीता को विपक्षीगण 1. विकास कुमार पुत्र बृजभूषण 2. इन्द्रेश कुमार पुत्र बृजभूषण 3. बृजभूषण पुत्र स्व0 श्यामलाल निवासीगण सघनपट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा गाली गुप्ता देते हुए धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से वार कर देने के सम्बन्ध में वादी संजीव कुमार की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 06.07.2025 को मु0अ0सं0 230/25 धारा 115(2)/352/351(2)/109(1) बीएनएस बनाम 1. विकास कुमार पुत्र बृजभूषण 2. इन्द्रेश कुमार पुत्र बृजभूषण 3. बृजभूषण पुत्र स्व0 श्यामलाल निवासीगण सघनपट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 07.07.2025 को उ0नि0 राजेन्द्र कुमार व पुलिस टीम के द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त को उनके घर ग्राम सघनपट्टी से उनके अपराध से अवगत कराते हुए नियमानुसार समय 11.15 बजे हिरासत पुलिस लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 230/25 धारा 115(2)/352/351(2)/109(1) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त -

- 1- विकास कुमार पुत्र बृजभूषण उम्र 22 वर्ष
2. इन्द्रेश कुमार पुत्र बृजभूषण उम्र 25 वर्ष
3. बृजभूषण पुत्र स्व0 श्यामलाल उम्र 50 वर्ष निवासीगण सघनपट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ।
2. हे0का0 राममूरत यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ।
3. का0 धर्मेन्द्र गुप्ता थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ।



02.थाना- मेंहनगर: अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 01.07.2025 को वादी मुकदमा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ ने थाना मेंहनगर पर लिखित तहरीर दी कि वादी मुकदमा की पुत्री 17 वर्ष दिनांक 30 जून 2025 को सुबह 10 बजे गाँव में स्थित दुकान से सामान लेने निकली थी। विपक्षी सुमन्त सरोज s/o शंकर गाँव बगली पिजडा थाना रानीपुर जनपद मऊ व उसके दोस्त संदीप s/o मगेलू राम ग्राम अल्दे मऊ थाना चिरैया कोट जनपद मऊ ने साजिश करते हुए मेरे नबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गए, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 341/2025 धारा 137(2)/87/61(2) बीएनएस एक्ट बनाम सुमन्त सरोज s/o शंकर गाँव बगली पिजडा थाना रानीपुर जनपद मऊ व उसके दोस्त संदीप s/o मगेलू राम ग्राम अल्दे मऊ थाना चिरैया कोट जनपद मऊ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण

दिनांक- 07.07.2025 को उ0नि0 उमेश सिंह मय हमराह हे0का0 भैयालाल यादव के द्वारा मु0अ0सं0 341/25 धारा 137(2) /87/,64,351(3) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुमन्त सरोज पुत्र शंकर सरोज ग्राम बगली पीजडा थाना रानीपुर जनपद मऊ को समय 09.30 बजे गौतम नगर बाजार थाना मेंहनगर आजमगढ़ से पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1- सुमन्त सरोज पुत्र शंकर सरोज ग्राम बगली पीजडा थाना रानीपुर जनपद मऊ
पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 341/2025 धारा 137(2)/87/61(2) बीएनएस थाना मेंहनगर आजमगढ़
गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- उ0नि0 उमेश सिंह मय हमराह हे0का0 भैयालाल यादव थाना मेंहनगर आजमगढ़



03. थाना- सिधारी: चोरी के 02 पायल, नकदी व अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

! पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक- 07.07.2025 को वादी मुकदमा अनूप प्रजापति पुत्र कैलाश प्रजापति साकिन भागमलपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा एक किता तहरीर हिन्दी लिखित बावत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर में दीवार काटकर घर में रखा बक्सा तोड़कर उसके अंदर रखा सामान नाक की कील सोने की 3 पीस, नथिया सोने की 1 पीस व 2 जोड़ी चांदी की पायल तथा 30000/- रुपया नगद चुरा ले जाने के सम्बंध में दाखिल किये कि दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 0478/2024 धारा 331(4)/305 बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात चोर के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण-

दिनांक 07.07.2025 को प्रभारी निरीक्षक सिधारी शशिचन्द चौधरी, उ0नि0 मो0 जावेद सिद्दीकी, उ0नि0 संतोष वर्मा मय हमराह द्वारा झारखण्डे मंदिर के पास बहदग्राम मुहम्मदल्ला से अभियुक्त शाह आलम उर्फ भोनू उर्फ सोनू पुत्र एकलाख कुरैशी उर्फ लखवू ग्राम धमऊर थाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र करीब 28 वर्ष को मुखबिर के सूचना पर समय 05.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त के पास 01 अदद देशी तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस व चोरी का 02 अदद पायल सफेद धातु व 5000/- रूपया नगद बरामद हुआ।

अनावरण अभियोग का विवरण:-

- 1- मु0अ0सं0 478/24 धारा- 331(4)/305 बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़
- 2- 2 अदद पायल सफेद धातु व 5000/- रूपया नगद।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद देशी तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस
2. 2 अदद पायल सफेद धातु व 5000/- रूपया नगद

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

- 1- शाह आलम उर्फ भोनू उर्फ सोनू पुत्र एकलाख कुरैशी उर्फ लखवू ग्राम धमऊर थाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र करीब 28 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 148/22 धारा 395/397/412 भादवि थाना अकबरपुर अम्बेडकरनगर
2. मु0अ0सं- 96/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना टाण्डा अम्बेडकरनगर
3. मु0अ0सं0- 380/22 धारा 307/379/411 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव आजमगढ़
4. मु0अ0सं0- 230/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बरदह आजमगढ़
5. मु0अ0सं0- 326/22 धारा 147/149/307/332/353/504 भादवि थाना बरदह आजमगढ़
6. मु0अ0सं0- 28/20 धारा 380/411 भादवि थाना केराकत जौनपुर
7. मु0अ0सं0- 455/19 धारा 380/411 भादवि थाना केराकत जौनपुर
8. मु0अ0सं0- 457/19 धारा 323/336/380/411 भादवि थाना केराकत जौनपुर
9. मु0अ0सं0- 26/20 धारा 379/411 भादवि थाना मछलीशहर जौनपुर
10. मु0अ0सं0- 45/21 धारा 307/336/504/506 भादवि थाना कटका अम्बेडकरनगर
11. मु0अ0सं0 478/24 धारा- 331(4)/305/317(2) बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़
12. मु0अ0सं0- 334/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग -

- 1- मु0अ0सं0- 334/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. शशिचन्द चौधरी प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी आजमगढ़
2. उ0नि0 जावेद सिद्दीकी थाना सिधारी आजमगढ़
3. उ0नि0 संतोष वर्मा थाना सिधारी आजमगढ़
4. कां0 धनन्जय राय थाना सिधारी आजमगढ़
5. कां0 प्रभाकर सहाय गुप्ता थाना सिधारी आजमगढ़

6. कां0 इन्दल कुमार थाना सिधारी आजमगढ़
7. कां0 सिद्धार्थ कुमार थाना सिधारी आजमगढ़

